

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District**
(जिला): ACB DISTRICT **P.S.**
(थाना): C.P.S Jaipur **Year**
(वर्ष): 2026
2. **FIR No.**
(प्र.सू.रि.सं): 0229 **Date and Time of FIR**
(एफआईआर की तिथि/समय): 11/08/2026 14:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
1. **Day(दिन):** गुरुवार **Date From**
(दिनांक से): 23/04/2026 **Date To**
(दिनांक तक): 23/04/2026
- Time Period**
(समय अवधि): पहर **Time From**
(समय से): 11:30 बजे **Time To**
(समय तक): 18:15 बजे
- (b) **Information received at P.S.**
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): **Date**
(दिनांक): 11/08/2026 **Time**
(समय): 14:00 बजे
- (c) **General Diary Reference**
(रोजनामचा संदर्भ) : **Entry No.**
(प्रविष्टि सं.): 001 **Date & Time**
(दिनांक एवं समय) 11/08/2026 14:56:02 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
1. (a) **Direction and distance from P.S.**
(थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 01 किमी **Beat No.**
(बीट सं.) : NOT APPLICABLE
- (b) **Address(पता):** CAMPUS, GENERAL HOSPITAL BUNDI
- (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S**
(थाना का नाम): **District(State)**
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): LAXMAN LAL GURJAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHURA LAL GURJAR

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1969

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MEERA GATE, BUNDI, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MEERA GATE, BUNDI, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ROHITASHVA NAGAR URF ROHITASH NAGAR		पिता:HUKAM CHAND NAGAR	1. MUNDLA,KHANPUR,JHALAWA R,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 50,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,निवेदन है कि दिनांक 23.04.2026 को समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर पुत्र श्री भूरा लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी मीरागेट बून्दी हाल डारेक्टर रघुवर हैल्थ सेंटर प्राईवेट लिमिटेड एण्ड रघुवर मल्टी एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हाँसपिटल चित्तौड रोड बून्दी मोबाईल नम्बर ने एसीबी चैकी बून्दी पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे अस्पताल रघुवर मल्टी एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हाँसपिटल चित्तौड रोड बून्दी मैं मेरी भतीजे के बेटे हर्ष कँावर की तथागत मैडिकल के नाम से दवा की दुकान है। जिसमें दवा खरीद एवं देखरेख का कार्य मैं भी करता हूँ। मान्यवर 30.03.2026 को दुकान पर निशांत बघेरवाल तथा रोहिताश नागर नामक Drug Inspector जो बून्दी में कार्यरत है। मेडिकल स्टोर की जांच के लिए आये थे तथा उन्होंने मेरी मेडिकल स्टोर की जांच जयपुर से आना बताया अर्थात जांच के आदेश जयपुर से अधिकारियों द्वारा देना बताया। जांच को सही भेजने के लिए मुझसे एक लाख रुपये की मांग करी। परन्तु मैंने इतने पैसे देने में असमर्थता व्यक्त करी तो रोहिताश नागर ने 60-70 हजार की मांग करी मैंने रिपोर्ट भेज देने के बाद देख लेने की बात कही। अब रोहिताश नागर लगातार मुझसे रिश्वत की मांग कर रहा है । मैं मेरे वैध (जायज) काम के लिए रोहिताश नागर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। मैं उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। मेरी रोहिताश नागर व निशांत बघेरवाल से कोई रंजिश व किसी प्रकार की लेन देन बकाया नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया गया है। अतः परिवादी को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन की विधि से अवगत कराया गया तथा कार्यालय में पदस्थापित हैड कानिस्टेबल श्री राम सिंह से परिवादी का परिचय करवाया गया एवं मालखाना से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द चालू करने की विधि समझाई गई।तत्पश्चात समय 12.15 पीएम पर परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर मय श्री राम सिंह हैड कानि 14 को मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 6.15 पीएम पर हैड कानि0 राम सिंह मय डिजीटल वाईस रिकार्डर के वापस चैकी पर आया तथा हैड कानि0 राम सिंह द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर को श्री हरीश भारती, उप पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि मैं एवं परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर चैकी बून्दी से रवाना होकर सामान्य चिकित्सालय बून्दी पहुंचे, जहां पर निर्देशानुसार परिवादी लक्ष्मण लाल गुर्जर को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर चालू व बन्द करने की विधि पुनः समझाई जाकर आरोपी रोहिताश नागर व निशांत बघेरवाल के कार्यालय में रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया। इस दौरान मैं परिवादी से थोड़ी दूरी बनाते हुये सामान्य चिकित्सालय बून्दी परिसर में अपनी उपस्थिती छुपाते हुये मौजूद रहा। परिवादी करीब 30 मिनिट के बाद मेरे पास आया जिसने डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द हालत में मुझे देकर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर रोहिताश नागर व निशांत बघेरवाल के कार्यालय में पहुंचा जहां पर दोनों आरोपी उपस्थित मिले। जिनसे मेरी रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता हुई तो आरोपी रोहिताश नागर ने मेरे से 50 हजार रुपये की मांग की तो मैंने रोहिताश नागर से कुछ पैसे कम करने के लिए कहा तो उसने पूरे 50 हजार करने के लिए कहा है एवं रिश्वत राशि मंडे या ट्यूजडे को देने के लिए कहा है। मेरे व आरोपी रोहिताश नागर व निशांत बघेरवाल के मध्य जो भी वार्ता हुई है, वह इस डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। जिस पर मन हैड कानिस्टेबल द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाकर रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि होना पाया गया। इस पर मन हैड कानिस्टेबल ने परिवादी से रिश्वत राशि व्यवस्था करने हेतु समझाईश की तो परिवादी ने बताया कि मैं पैसे का इंतजाम करके बता दूंगा। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर मौके से रवाना कर मन हैड कानिस्टेबल मय डिजीटल वाईस रिकार्डर के एसीबी कार्यालय बून्दी आया। श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो कथित आरोपी रोहिताश नागर द्वारा परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होना पाया गया एवं निशांत बघेरवाल द्वारा परिवादी से वार्ता करना तो पाया गया किन्तु परिवादी व निशान्त बघेरवाल के बीच रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता करना नहीं पाया गया है। अतः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन आईन्दा से किया जावेगा। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाना रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 24.04.2026 को समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर एसीबी चैकी बून्दी पर उपस्थित आया, जिसने श्री हरीश

भारती, उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 23.04.2026 को मैं व राम सिंह जी हैड कानि आपके पास चैकी से रवाना होकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करने हेतु सामान्य चिकित्सालय बून्दी गये थे, जहां पर राम सिंह जी ने मेरे को डिजीटल वाईस रिकॉर्ड मुझे चालू करके आरोपी रोहिताश्व नागर व निशांत बघेरवाल के कार्यालय में रवाना किया था। मैं रवाना होकर आरोपी रोहिताश्व नागर व निशांत बघेरवाल के पास गया, जहां पर मेरी रिश्वत के सम्बन्ध में आरोपी रोहिताश्व नागर से वार्ता हुई, रोहिताश्व नागर ने मेरे से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की तो मैंने उससे कुछ पैसे कम करने के लिए बोला तो उसने बताया कि इतने तो लगेंगे। मेरे से निशांत बघेरवाल ने रिश्वत की मांग नहीं की है तथा हमारे बीच जो भी बातचीत हुई थी वह डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर से रिश्वत राशि की व्यवस्था व अग्रिम कार्यवाही हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी रोहिताश्व नागर दो दिन के लिए बाहर गया हुआ है एवं मुझे दिनांक 27.04.2026 को सम्पर्क करने लिए बताया है, इसलिए आरोपी रोहिताश्व नागर से दिनांक 27.04.2026 को ही रिश्वत देने के लिए सम्पर्क करेंगे। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर कार्यालय से रूखस्त किया गया। आरोपी रोहिताश्व नागर द्वारा परिवादी से रिश्वत की राशि प्राप्त करने हेतु सूचना प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही आईन्दा से की जावेगी। दिनांक 27.04.2026 को समय 1.00 पीएम पर परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर एसीबी चैकी बून्दी पर उपस्थित आया, जिसने श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि अभी पैसे लेने के लिए मेरे पास आरोपी रोहिताश्व का फोन नहीं आया है और ना ही किसी प्रकार की मुझे सूचना दी है। मेरे को लगता है कि आरोपी रोहिताश्व नागर को मेरे उपर शक हो गया है कि मैंने उसकी शिकायत एसीबी में कर दी है, इसलिए आरोपी रोहिताश्व नागर ना तो रिश्वत के लिए मेरे फोन कर रहा है और ना ही उसने मेरे पास रिश्वत लेने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सूचना दी है। अब शायद आरोपी रोहिताश्व नागर मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगा। जिस पर श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर को आरोपी के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही पूर्ण करने का प्रयास करने एवं गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर चैकी हाजा से रूखस्त किया गया। तत्पश्चात दिनांक 11.05.2026 को कार्यालय में पदस्थापित श्री विक्रम सिंह कानि के मोबाईल से परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर ने बताया कि मेरे अभी पारिवारिक काम होने एवं आरोपी की तरफ से भी रिश्वत प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से सम्पर्क नहीं हुआ है इसलिए मेरे पास आरोपी की रिश्वत प्राप्त करने की सूचना आने पर मैं एसीबी चैकी पर उपस्थित हो जाऊंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। इसके उपरान्त दिनांक 19.05.2026 को श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर ने बताया कि मैं 2-3 दिन मेरे काम में व्यस्त रहूंगा तथा अभी मेरे से आरोपी भी किसी प्रकार से नहीं सम्पर्क कर रहे हैं। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 30.05.2026 को श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर ने बताया कि आरोपी को मेरे उपर शक हो गया है इसलिए मेरे से रिश्वत प्राप्त करने के लिए सम्पर्क नहीं कर रहे हैं तथा अब शायद ही आरोपी के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नहीं है तथा मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु मंगलवार दिनांक 02.06.2026 को आपके पास एसीबी चैकी बून्दी पर उपस्थित हो जाऊंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 02.06.2026 को समय 11.55 एएम पर परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर एसीबी चैकी बून्दी पर उपस्थित आया, जिसने श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैंने दिनांक 23.04.2026 को एक प्रार्थना पत्र निशांत बघेरवाल तथा रोहिताश्व नागर नामक Drug Inspector द्वारा मेरे से मेरे भतीजे के बेटे हर्ष कंवर की तथागत मैडिकल के नाम से दवा की दुकान की जांच कर जांच को सही भेजने के लिए एक लाख रुपये की मांग की थी, जिसकी शिकायत मैंने लिखित में आपके कार्यालय में दी थी, मेरी शिकायत का सत्यापन दिनांक 23.04.2026 को कराया गया था, जिसमें आरोपी रोहिताश्व नागर Drug Inspector द्वारा मेरे से 50 हजार रुपये मांगने की गई थी। लेकिन आरोपी को मेरे पर शक होने के कारण रिश्वत लेनदेन नहीं होने से आरोपी के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। अब मेरे से आरोपी रिश्वत प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से सम्पर्क नहीं कर रहे हैं। अतः आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्री हरीश भारती, उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया, परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया। प्रार्थना पत्र को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पूछताछ के आधार पर आरोपी रोहिताश्व नागर Drug Inspector के विरुद्ध रिश्वत प्राप्त करते हुये ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलब किये जावेगे। इसके बाद श्री भूपेन्द्र सिंह हैड कानि को गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय पत्र क्रमांक 538 दिनांक 02.06.2026 से दो स्वतंत्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय उपवन संरक्षक बून्दी रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री भूपेन्द्र सिंह हैड कानि कार्यालय उपवन संरक्षक बून्दी से दो स्वतंत्र गवाह श्री रघुवीर सिंह वन रक्षक एवं श्री बाबू सिंह मीणा वनरक्षक को लेकर वापस कार्यालय एसीबी चैकी बून्दी आया। गवाह पाबन्द पत्र की प्रति पेश की गई, जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी लक्ष्मण लाल गुर्जर एवं स्वतंत्र गवाहों का आपस में परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहों को परिवादी द्वारा दिनांक 23.04.2026 को पेश प्रार्थना पत्र एवं

दिनांक 02.06.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश प्रार्थना पत्र तथा सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता को सुनाया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहों द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्रों पर अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। इसके उपरान्त मालखाना से मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मंगवा कर परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर तथा आरोपी रोहिताश्व नागर Drug Inspector के मध्य दिनांक 23.04.2026 को हुई रिश्त मांग वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटाॅप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की परिवादी से पहचान करवाई गई तो परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज रोहिताश्व नागर Drug Inspector एवं तीसरी आवाज श्री निशांत बघेरवाल की होना पहचान किया स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री विक्रम सिंह हाडा कानि 72 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 2.15 पीएम पर परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर तथा आरोपी रोहिताश्व नागर व निशांत बघेरवाल के मध्य दिनांक 23.04.2026 को हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त वार्ता को परिवादी लक्ष्मण लाल गुर्जर द्वारा ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड है। श्री विक्रम सिंह हाडा कानि 72 से श्री हरीश भारती, उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में सरकारी लेपटाॅप की मदद से मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता को 4 पेन ड्राइव (RinGers RG-TBLN 8GB) में पृथक-पृथक डबिंग (Copy) की गयी। जिसमें से मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर न्यायालय के लिये तथा चार डबिंग पेन ड्राइव में से एक आरोपी रोहिताश्व नागर Drug Inspector के लिए एवं एक पेन ड्राइव न्यायालय के लिए तथा एक पेन ड्राइव रक्षित अन्य संदिग्ध आरोपी के लिए पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया एवं एक पेन ड्राइव को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखा गया। फर्द जप्ती मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं डबिंग पेन ड्राइव मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। हैश वैल्यू श्री मनोज कुमार कानि 452 से निकलवाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री बाबू सिंह मीणा व श्री रघुवीर सिंह को बाद कार्यवाही कार्यालय से सकुशल रूखस्त किया गया। अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 23.04.2026 को परिवादी श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर पुत्र श्री भूरा लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी मीरागेट बून्दी हाल डारेक्टर रघुवर हैल्थ सेंटर प्राइवेट लिमिटेड एण्ड रघुवर मल्टी एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हाॅस्पिटल चित्तौड़ रोड बून्दी मोबाईल नम्बर _____ ने एसीबी चैाकी बून्दी पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि मेरे अस्पताल रघुवर मल्टी एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हाॅस्पिटल चित्तौड़ रोड बून्दी मैं मेरी भतीजे के बेटे हर्ष कावर की तथागत मैडिकल के नाम से दवा की दुकान है। जिसमें दवा खरीद एवं देखरेख का कार्य मैं भी करता हूं। मान्यवर 30.03.2026 को दुकान पर निशांत बघेरवाल तथा रोहिताश्व नागर नामक Drug Inspector जो बून्दी में कार्यरत है। मेडिकल स्टोर की जांच के लिए आये थे तथा उन्होंने मेरी मेडिकल स्टोर की जांच जयपुर से आना बताया अर्थात् जांच के आदेश जयपुर से अधिकारियों द्वारा देना बताया। जांच को सही भेजने के लिए मुझसे एक लाख रुपये की मांग करी। परन्तु मैंने इतने पैसे देने में असमर्थता व्यक्त करी तो रोहिताश्व नागर ने 60-70 हजार की मांग करी मैंने रिपोर्ट भेज देने के बाद देख लेने की बात कही। अब रोहिताश्व नागर लगातार मुझसे रिश्त की मांग कर रहा है। मैं मेरे वैध (जायज) काम के लिए रोहिताश्व नागर को रिश्त नहीं देना चाहता हूं। मैं उसे रिश्त लेते हुऐ रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। मेरी रोहिताश्व नागर व निशांत बघेरवाल से कोई रंजिश व किसी प्रकार की लेन देन बकाया नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं पृच्छताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने दिनांक 23.04.2026 को रिश्त मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रोहिताश्व नागर Drug Inspector द्वारा परिवादी लक्ष्मण लाल गुर्जर से उसके भतीजे के बेटे हर्ष कावर की तथागत मैडिकल, जिसमें दवा खरीद एवं देखरेख का कार्य परिवादी द्वारा भी किया जाता है, उक्त मेडिकल स्टोर की जांच कर जांच रिपोर्ट जयपुर सही भेजने की एवज में 50 हजार रुपये रिश्त मांग करने की पुष्टि हुई एवं कथित आरोपी श्री निशांत बघेरवाल को परिवादी से वार्ता करना तो पाया गया किन्तु रिश्त मांग करने सम्बन्धी वार्ता नहीं की गई। रिश्त मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.04.2026 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात दिनांक 02.06.2026 को परिवादी लक्ष्मण लाल गुर्जर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैंने दिनांक 23.04.2026 को एक प्रार्थना पत्र निशांत बघेरवाल तथा रोहिताश्व नागर नामक Drug Inspector द्वारा मेरे से मेरे भतीजे के बेटे हर्ष कावर की तथागत मैडिकल के नाम से दवा की दुकान की जांच कर जांच को सही भेजने के लिए एक लाख रुपये की मांग की थी, जिसकी शिकायत मैंने लिखित में आपके कार्यालय में दी थी, मेरी शिकायत का सत्यापन दिनांक 23.04.2026 को कराया गया था, जिसमें आरोपी रोहिताश्व नागर Drug Inspector द्वारा मेरे से 50 हजार रुपये मांगने की गई थी। लेकिन आरोपी को मेरे पर शक होने के कारण रिश्त लेनदेन नहीं होने से आरोपी के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। अब मेरे से आरोपी रिश्त प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से सम्पर्क नहीं कर रहे हैं। अतः आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। अतः सम्पूर्ण कार्यवाही से रोहिताश्व नागर उर्फ रोहिताश नागर Drug Inspector के विरुद्ध परिवादी लक्ष्मण लाल गुर्जर से उसके भतीजे के बेटे हर्ष कावर की तथागत मैडिकल की दुकान, जिसमें दवा खरीद एवं देखरेख का कार्य परिवादी द्वारा भी

किया जाता है, उक्त मेडिकल स्टोर की जांच कर जांच रिपोर्ट जयपुर सही भेजने की एवज में से 50 हजार रुपये रिश्त मांग करने की पुष्टि परिवादी लक्ष्मण लाल व आरोपी श्री रोहिताश्व नागर उर्फ रोहिताश नागर Drug Inspector के बीच दिनांक 23.04.2026 को हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता से होती है किन्तु आरोपी श्री रोहिताश्व नागर उर्फ रोहिताश नागर Drug Inspector को शक हो जाने के कारण रिश्त राशि न तो प्राप्त की गई एवं ना ही रिश्त राशि प्राप्त करने हेतु परिवादी से किसी प्रकार सम्पर्क किया गया एवं रिश्त मांग सत्यापन वार्ता में कथित आरोपी श्री निशांत बघेरवाल व परिवादी के मध्य वार्ता होना तो पाया गया किन्तु रिश्त मांग करने सम्बन्धी वार्ता नहीं की गई। इस प्रकार आरोपी रोहिताश्व नागर उर्फ रोहिताश नागर पुत्र श्री हुकमचन्द नागर जाति नागर उम्र 37 साल निवासी ग्राम व पोस्ट मुण्डला तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल (Drug Inspector) औषधि नियंत्रक अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के विरुद्ध परिवादी से मेडिकल स्टोर की जांच कर जांच रिपोर्ट जयपुर सही भेजने की एवज में 50 हजार रुपये रिश्त की मांग करना प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, (नीरज कुमार), पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रोहिताश्व नागर उर्फ रोहिताश नागर पुत्र श्री हुकमचन्द नागर जाति नागर उम्र 37 साल निवासी ग्राम व पोस्ट मुण्डला तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल (Drug Inspector) औषधि नियंत्रक अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोपल सिंह कानावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 180 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1333-36 दिनांक 11.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): GOPAL SINGH Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): KANAWAT (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)